

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 70
23 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत नारायणपुर नगरपालिका बोर्ड, सोनितपुर, असम को शामिल करना

†*70. श्री रंजीत दत्ता:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 की प्राथमिकता-1। सूची के अंतर्गत सोनितपुर जिले में नारायणपुर नगरपालिका बोर्ड को शामिल करने के लिए असम राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को नारायणपुर नगरपालिका बोर्ड के क्षेत्र में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के परिवारों की आवास संबंधी जरूरतों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त बोर्ड को पीएमएवाई-यू 2.0 की प्राथमिकता-1। सूची में शामिल करने और उसमें पात्र लाभार्थियों के लिए आवास स्वीकृत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवासों को इस प्रकार शामिल करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत नारायणपुर नगरपालिका बोर्ड, सोनितपुर, असम को शामिल करने" के विषय में दिनांक 23.07.2026 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 70* (10वाँ स्थान) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देशभर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं सहित सभी मौसमों के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों से ली गई सीख के आधार पर एमओएचयूए ने योजना में बदलाव करते हुए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 - 'सभी के लिए आवास' प्रारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य देश के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करना है। पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) तथा ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किया जा रहा है।

पीएमएवाई-यू तथा पीएमएवाई-यू 2.0 मांग-आधारित योजनाएं हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आवास की मांग का सर्वेक्षण कराते हैं तथा पात्रता सुनिश्चित करने के लिए अपने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं। शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं तथा राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत उन्हें केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा अनुमन्य केंद्रीय सहायता की स्वीकृति के लिए मंत्रालय को भेजा जाता है। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत असम राज्य सरकार से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर राज्य के नारायणपुर नगरपालिका पंचायत में कुल 572 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अब तक 560 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार, पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत आवासों की संख्या के आधार पर शहरों को तीन प्राथमिकता श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिकता-I में वे शहर आते हैं जहाँ स्वीकृत आवासों की संख्या राष्ट्रीय एवं राज्य औसत से उल्लेखनीय रूप से कम है। प्राथमिकता-II में वे शहर आते हैं जहाँ स्वीकृत आवासों की संख्या राष्ट्रीय और/अथवा राज्य औसत के आसपास है। प्राथमिकता-III में वे शहर आते हैं जहाँ स्वीकृत आवासों की संख्या राष्ट्रीय एवं राज्य औसत से उल्लेखनीय रूप से अधिक है।

राष्ट्रीय औसत, अर्थात् शहरी परिवारों की संख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) की तुलना में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के अनुपात की संख्या 13 प्रतिशत है। राज्य औसत, अर्थात् राज्य में परिवारों की संख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) की तुलना में असम में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के अनुपात की संख्या 17 प्रतिशत है। जबकि नारायणपुर में यह अनुपात 42 प्रतिशत है। इसलिए, नारायणपुर प्राथमिकता-III श्रेणी में आता है।

असम राज्य में आवास की मांग को ध्यान में रखते हुए, 17.06.2026 को हुई पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत सीएसएमसी की 7वीं बैठक में राज्य की नारायणपुर नगरपालिका पंचायत के लिए 209 आवास स्वीकृत किए गए हैं जिसके लिए 4.70 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता शामिल है।
